243/23

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज | अहकाम की तामील |
|---|---|---|
| 15.10.2024 | वकील प्रार्थी उपस्थित / विपक्षी वकील अनुपस्थित / पुराने पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन करते पाया कि विवादित आराजी का प्रार्थी रिकार्ड खातेदार है तथा पट्टकारों के मध्य मुकदमा वादी रूपाल में विचाराधीन चल रहा है। इस कारण पट्टकार के मध्य विवाद आगे आगे नहीं बढ़े। इस कारण स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। तिवाड़ी प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 16.08.2023 को यथावत रखते हुए मुकदमा के निर्णय तक सन्धार्य किया जाता है। पत्रावली फौरन - रुबरु होकर दाखिल - दफ्तर हो। | |

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2024.10.25 16:47:00 IST
Reason: SelfAttested